

वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पद हेतु आवेदन पत्र

(1)

1. कार्यालय का नाम:—.....
2. कार्मिक का नाम वर्तमान पद एवं संवर्ग:—.....
3. पिता/पति का नाम:—.....
4. जन्म तिथि:—.....
5. सेवानिवृत्ति तिथि:—.....
6. संवर्ग के कनिष्ठतम पद पर नियुक्ति तिथि:—.....
7. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति तिथि:—.....
8. अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति में होने के कारण जिला स्थापना समिति जिला परिषद
.....द्वारा पंचायत समितिचयन तिथि.....एवं आदेश क्रमांक.....
9. कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि के पश्चात अन्य पद/संवर्ग में सीधी भर्ती हुई हो तो
अ-पद नाम:—.....
ब-नियुक्ति/कार्यग्रहण तिथि.....
10. शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यतायें:—

क्र. सं.	योग्यतायें	विषय	वर्ष	बोर्ड/विवि का नाम	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					
5					
6					

11. सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण:—
 - 01 प्रथम पदोन्नति.....कार्यग्रहण तिथि.....डीपीसी वर्ष.....
 - 02 द्वितीय पदोन्नति.....कार्यग्रहण तिथि.....डीपीसी वर्ष.....
 - 03 तृतीय पदोन्नति.....कार्यग्रहण तिथि.....डीपीसी वर्ष.....
12. पूर्व में स्वीकृत चयनित/वरिष्ठ वेतनमानों का विवरण:—
 1. 15 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 2. 09 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 3. 18 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 4. 27 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 5. 10 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 6. 08 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
 7. 20 वर्षीय प्राप्ति तिथिएवं वेतन शृंखला
13. पूर्ण सेवावधि में विभागीय जांच/निलम्बन या किसी प्रकार का दण्ड दिया गया हो तो उसका विवरण
(आदेश क्रमांक व दिनांक मय प्रति)
.....
.....
14. वरिष्ठता सूची में क्रमांक(जिला).....मंडल क्रमांक.....
वर्ष.....वर्ष.....

(2)

15. पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2008 में वेतन स्थिरीकरण का विवरण
1. विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि.....
 2. दिनांक जिससे वेतनमान विकल्पित किया है- 01.09.2006 अथवा अन्य तिथि.....
 3. वेतन बैंड.....
 4. ग्रेड वेतन.....
16. राज्यादेश एफ14(1)एफडी(रुल्स)/2013-I दिनांक 06.04.2013 के अन्तर्गत पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2008 में चतुर्थ संशोधन में वेतन स्थिरीकरण
1. विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि.....
 2. दिनांक जिससे वेतनमान विकल्पित किया है- 01.01.2006 अथवा अन्य तिथि.....
 3. वेतन बैंड.....
 4. ग्रेड वेतन.....
17. राज्यादेश एफ14(85)एफडी(रुल्स)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अन्तर्गत वेतनमान निर्धारण का विवरण
1. दिनांक 01.07.2013 को ग्रेड वेतन.....
 2. वेतन बैंड.....
18. सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण
1. विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि.....
 2. विकल्प की दिनांक.....
 3. वेतन बैंड..... ग्रेड पे..... पे
मेट्रिक्स के स्लेब क्रमांक.....
19. अवोदित ए.सी.पी. का विवरण-
1. 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर
दिनांक..... से वेतन बैंड..... ग्रेड वेतन..... पे मेट्रिक्स.....
 2. 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर
दिनांक..... से वेतन बैंड..... ग्रेड वेतन..... पे मेट्रिक्स.....
 3. 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर
दिनांक..... से वेतन बैंड..... ग्रेड वेतन..... पे मेट्रिक्स.....

कर्मचारी की घोषणा

मैं..... पिता/पति..... पद.....
घोषण करता/करती हूँ कि गत सात वर्षों से बकाया वा.का.मू.प्र. प्रस्तुत किये गये हैं, मेरे द्वारा वार्षिक कसूर्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शेष नहीं है। उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा भरा गया है, जो कि मेरी जानकारी के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का तथ्य नहीं छुपाया गया है। प्रासंगिक आदेशानुसार यदि मुझे किसी प्रकार अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे नियमानुसार जमा करवाने की सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर आवेदक

मोबाईल नम्बर.....

ई-मेल आई डी.....

नोट - सभी कॉलम को अवश्य भरें

वित्त विभाग की अधिसूचना एफ-11(7)एफडी / (नियम) / 2008 दिनांक 12.09.2008 एवं परिपत्र संख्या एफ14(88)एफडी / (नियम) / 2008-II दिनांक 31.12.2009 के तहत कार्मिकों को आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृति हेतु

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भरी जाने वाली चैक लिस्ट)

1. कार्मिक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. वर्तमान पद.....
5. वर्तमान पदस्थापन स्थान.....
6. सेवा का विवरण निम्नानुसार—
(अ)सीधी भर्ती पद का विवरण:—
पद..... कार्यग्रहण तिथि..... स्थाईकरण तिथि.....

(ब) पदोन्नति विवरण:—

	विवरण	चयनित वेतनमान या एसीपी		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	डीपीसी चयन वर्ष व पद			
2	आदेश क्रमांक व दिनांक			
3	कार्यग्रहण तिथि			

7. स्वीकृत चयनित वेतनमान / एसीपी का विवरण:—

	विवरण	चयनित वेतनमान या एसीपी		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	स्वीकृत तिथि			
2	आदेश क्रमांक व दिनांक			
3	वेतनमान			

8. शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक प 17(48)शिक्षा-2 / वि.प्र. / 2012 दिनांक 12.10.2012 के तहत कार्मिकों को आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति हेतु

1. राज्यादेश प. 5 (23)प्राशि / 2009 दिनांक 04.06.2010 के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतनमान 6500-10500 में दिनांक 01.07.1998 को स्वीकृत किया हो तो वेतन..... एवं वेतन श्रृंखला.....

9. प्रस्तावित एसीपी का विवरण:—

1. एसीपी के लिये सेवा गणना का आधार / प्रथम पद.....
2. उक्त पद से 09 / 18 / 27 वर्ष पूर्ण करने की तिथि.....
3. एसीपी की प्रस्तावित तिथि.....
4. प्रस्तावित वेतन बैंड.....
5. प्रस्तावित ग्रेड वेतन.....
6. पे-मेट्रिक्स.....

नोट— वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सेवा में कार्यग्रहण से निरन्तर पदोन्नतियों द्वारा वर्तमान पद तक पहुंचने पर प्रथम पद पर नियमित नियुक्ति / कार्यग्रहण से तथा सेवा के बीच में सीधी भर्ती या लोकसेवा आयोग से चयन पर चयन के पद पर कार्यग्रहण तिथि से एसीपी हेतु सेवा की गणना मान्य होगी यदि प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति में होने के कारण जिला स्थापना समिति जिला परिषद द्वारा चयन तिथि से एसीपी की गणना मान्य होगी।

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि—

- कार्मिक के विरुद्ध सीसीए नियम 16 व 17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं तथा सेवापुस्तिका के आधार पर पूर्व में कार्मिक को दण्डित नहीं किया गया है एवं दण्डादेश (यदि कोई हो) का सेवापुस्तिका में प्रविष्ट कर ली गई है।

जारी दण्डादेश दिनांक	दिया गया दण्ड	सेवापुस्तिका में अंकन की पृष्ठ सं.

- पिछले सात वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है तथा इनकी सेवायें संतोषप्रद हैं।
- पूर्व में पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है। यदि परित्याग किया है तो पदोन्नति आदेश क्रमांक..... एवं दिनांक..... अंकित करें।
- इनके विरुद्ध पूर्व में अधिक भूगतान की कोई वसूली बकाया नहीं है।
- एसीपी प्रस्तावित तिथि तक की सेवायें सेवा पुस्तिका में प्रमाणित है तथा सेवा में कोई व्यवधान नहीं है।
- दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात दो से अधिक संतान न होने के संबन्ध में शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक से प्राप्त कर लिया गया है जो प्रकरण के साथ संलग्न है।
- आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जांच सेवापुस्तिका एवं विभागीय अभिलेखों के अनुरूप है, एसीपी की अनुशंसा की जाती है।
- अभिलेख के आधार पर विद्यालय/कार्यालय स्तर पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समीक्षा अधिकारी को भिजवाने से शेष नहीं है।
- पूर्व में स्वीकृत एसीपी, चवेमा, पदोन्नति आदेश एवं वेतन निर्धारण की छाया प्रतियां सत्यापित कर संलग्न कर दी गई हैं।
- प्रथम नियुक्ति आदेश, स्थाईकरण आदेश, मूल सेवा अभिलेख एवं अतिरिक्त छायाप्रति प्रमाणित, छायाप्रति आवेदन के साथ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर सेवा पुस्तिका की छाया प्रति पूर्ण जांच उपरान्त संयुक्त निदेशक माध्यमिक को प्रस्तुत की जावेगी।
- सेवा पुस्तिका की छाया प्रतियां पृष्ठ संख्या..... से..... तक संलग्न की दी गई हैं। (संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित) कोई भी पृष्ठ बकाया नहीं है।
- नियमित नियुक्ति पश्चात वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन की प्रतियां एवं वेतन की प्रतियां सत्यापित कर संलग्न कर दी गई हैं।
- प्राप्त ओवदन पत्र एवं सेवाभिलेख में आवेदन दिनांक तक के समस्त वेतन स्थिरीकरण एवं वेतन निर्धारण की जांचकर ली गई हैं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 20.04.2017 के अनुसरण में वसूली की स्थिति नहीं है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष व मोहर

सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार की अभिशंषा

श्री..... पद..... के एसीपी प्रकरण के संबन्ध में सूचनायें दी गई हैं उन्हें मैंने कार्मिक की सेवापुस्तिका एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेखों के आधार पर निम्न अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।

- स्वीकृत प्रस्तावित दिनांक.....
- वेतन बैंड.....
- ग्रेड वेतन.....
- पे-मेट्रिक्स.....

हस्ताक्षर सहायक लेखाधिकारी

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशंषा

क्रमांक:-

दिनांक:-

कार्मिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार कार्मिक द्वारा वा.का.मू.प्र. प्रस्तुत करने से शेष नहीं है एवं प्राप्त समस्त वा.का.मू.प्र. समीक्षक /नियंत्रण/स्वीकृति अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। कार्यालय स्तर संधारित अभिलेख वा. का.मू.प्र. प्रयोजनार्थ अपडेट है एवं कार्मिक से संबन्धित आवश्यक प्रविष्टियां अंकित हैं।

- कार्यालयाध्यक्ष के प्रमाणिकरण एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा की गई जां एवं अनुशंषा के आधार पर एसीपी स्वीकृति की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व मोहर